कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 1862/12-1 दिनांक, मसूरी 22 –11–2017।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :– जनपद–टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग के (कुल लम्बाई 3.00 किमी0) के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.295 है0 वन भूमि का का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 अस्थाई खण्ड, थत्यूड़ को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। **FP/UK/Road/13390/2015 दि0 20–06–2015**

सन्दर्भ:– आपका पत्रांक 1931/12–1, दिनांक जून 25, 2012

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित के कम में अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल द्वारा अपने पत्र सं0 1677/दि0 02–11–2017 (प्रति संलग्न) से विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि का (संशोधित) वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की दो प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी हैं,जो आनलाईन इस कार्यालय, को प्राप्त हुई। आनलाईन प्रस्ताव की प्रभाग स्तर से जाँच /परीक्षण उपरान्त आवश्यक संस्तुति सहित प्रस्ताव की एक (01) हार्ड प्रति (मूल में) मय सी0डी0 प्रेषित

की जा रही है। विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण एंव प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना का कार्य अधीनस्थ स्टाफ, राजस्व विभाग व प्रस्तावक विभाग के कर्मचारियों /अधिकारियों द्वारा दि0 16–05–2015 किया गया। प्रस्तावित निर्माण कार्य में विभिन्न प्रजाति/व्यासवर्ग के आरक्षित वन भूमि में 108 वृक्ष तथा नाप भूमि में 18 वृक्ष कुल 126 वृक्ष बाधित होने निहित है। जिसमें बाँज प्रजाति के 31 वृक्ष सम्मिलित है। प्रस्तावित सथल का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 18–11–2017 को स्थलीय निरीक्षण किया गया।

क. सं.	भूमि का विवरण	प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग								योग
			0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70 से अधिक	
1.	रायपुर रेंज– आरक्षित वन रिंगालगढ़ कक्ष सं0–3 (कुल बाधित वृक्षों की सं0– 13)	बाँज	–	03	–	–	–	–	–	–	03
2.	रिंगालगढ़ कक्ष सं0–4(कुल बाधित वृक्षों की सं0– 95)	बाँज	–	14	–	–	–	–	01	01	16
3.	नाप भूमि ग्राम सरोना (कुल बाधित वृक्षों की सं0– 18)	बाँज	–	07	04	01	–	–	–	–	12
	योग		–	24	04	01	–	–	01	01	31

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।

संलग्नक–: उक्तानुसार। (प्रस्ताव की एक (01) प्रतिं मय सी0डी0)।

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 1862/दिनांकित।

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल को उनके पत्र सं0 1677/दि0 02–11–2017 के कम में।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

भाग – II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या ......

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद–टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 3.00 किमी0) के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.295 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 अस्थाई खण्ड, थत्यूड़ को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	टिहरी गढ़वाल
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेअर में)	2.295 हैक्टर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.810 है0 आरक्षित वन भूमि रिंगालगढ़ कक्ष सं0– 3 1.395 है0 आरक्षित वन भूमि रिंगालगढ़ कक्ष सं0–4 0.090 है0 सिविल सोयम भूमि (ग्राम रिंगालगढ़ अन्तर्गत) **2.295 है0**
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.4
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनानाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल. –2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.–4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण में विभिन्न प्रजाति एंव व्यास वर्ग के आरक्षित वन भूमि में 108 वृक्ष जिसमें 19 वृक्ष बांज प्रजाति तथा नाप भूमि में 18 वृक्ष जिसमें 12 वृक्ष बांज प्रजाति कुल 126 वृक्ष जिसमें 31 बांज प्रजाति के सम्मिलित हैं प्रभावित /बाधक होने निहित है। प्रभावित /बाधित वृक्षों की भूमिवार /प्रजातिवार /व्यासवार गणना एंव मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 19 से 21 पर चस्पा है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नहीं। इस बावत प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 –46 से 49 पर वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून की दि0 28–02–2015 की आख्या चस्पा की गयी है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित /चयनित स्थल आरक्षित वन भूमि रिंगालगढ़ कक्ष सं0–3 व 4 एंव ग्राम रिंगालगढ़ की सिविल सोयम व नाप भूमि) की सीमा अन्तर्गत स्थित है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधिति की जाए)	नहीं। इस बावत् प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 – 22 पर प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है।यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	——नहीं——
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत् प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 – 53 पर प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद–वार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग एंव राजस्व विभाग, द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 – 52 पर चस्पा है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	– नहीं–

10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.295 है0 वन भूमि के बदले दुगने 4.59 अर्थात 5.00है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम रिंगालगढ़ की सिविल सोयम भूमि का चयन किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एंव मानचित्र प्रस्ताव पृष्ठ सं0 – 30 से 32 पर चस्पा है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डो की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.295 है0 वन भूमि के बदले दुगने 4.59 अर्थात 5.00है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम रिंगालगढ़ की सिविल सोयम भूमि का चयन किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल प्रस्तावित कार्यस्थल से लगभग 300.00मी0 दूर है तथा ढालदार व पहाड़ी क्षेत्र है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	**प्रजातियां:–** जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। **कार्यान्वयन एजेंसी:–** स्वयं वन विभाग। **समय:–** उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। **लागत:–** प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.295 है0 वन भूमि के बदले दुगने 4.59 अर्थात 5.00है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 12,66,660 (रू0 बारह लाख छियासठ हजार छः सौ साठ मात्र)
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.295 है0 वन भूमि के बदले दुगने 4.59 अर्थात 5.00है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 12,66,660 (रू0 बारह लाख छियासठ हजार छः सौ साठ मात्र)
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की उपयुक्तता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 – 29 (1) पर चस्पा है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	अधीनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एंव प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके पृष्ठ सं0 – 12 व 13 पर है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वर्णित स्थल अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 18–11–2017 को स्थलीय निरीक्षण किया गया।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	जिला– टिहरी गढ़वाल
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4421 वर्ग कि0मी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	4058.90 वर्ग कि0मी0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 92 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 979.9032है0 है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 516.5694 है0 है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि (ख) वनेतर भूमि पर:–	(क) 227.0912 हैक्टेयर/622.9106 हैक्टेयर (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 1– 218.90 है0 /504.88 हैक्टेयर में प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एंव नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट एंव प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

दिनांकः 22-11- 2017।

नामः– (कहकशाँ नसीम) स्थानः–
सरकारी मुहर प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

मसूरी,